रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 414] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 4, 1973/अग्रहायण 13, 1895
No. 414] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 4, 1973/AGRAHAYANA 13, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE, GUNTUR—4

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISE

Guntur, the 29th September 1973

S. O. 729(E).—In exercise of the powers conferred upon me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I hereby empower the Central Excise Officers specified in column 2 of the sub-joined table to exercise within their jurisdiction and in relation to the assessees governed by the provisions of Chapter VII-A of the said Rules, the powers of the "Collector" under the Central Excise Rules enumerated in Column 1 thereof subject to the limitations set out in Column 3 of the said table.

Central Excise Rules	Rank of the Officer	Limitations, if any
Rule 173-M	Assistant Collector of Central Excise	To allow the goods, cleared for export, to be returned to the Factory.

[No. 4/73]

A. S.I. JAFFAR, Collector.

समाहर्ता कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुन्टुर–4

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

गुन्टुर, 29 सितम्बर 1973

एस० ओ० 729(अ).—1944 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के 5वें नियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एतद्द्वारा, अनुलग्न सारणी के स्तंभ 2 में उल्लिखित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों को, अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में, उक्त नियमावली के अध्याय-VII-क के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित निर्धारितियों के संबंध में, स्तंभ 1 में बताए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के अन्तर्गत तथा उक्त सारणी के स्तंभ 3 में दी गई सीमाओं तक, समाहर्ता की शक्तियों के प्रयोग का अधिकार प्रदान करता हूं ।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम	अधिकारी का पद	सीमायें, यदि कोई हों
नियम 173–एम	सहायक समाहर्ता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	निर्यात के लिए निमोचित की गई वस्तुओं को कारखाने में वापस लाने की अनुमति देना

[सं० 4/73]

ए० एस० आई० जफर, समाहर्ता ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973